

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : On a point of order, Sir. I would like to know whether the hon. Mover of the motion for reference of the Bill to the Select Committee has obtained the consent of Members who are included in this. Under the rule their consent is necessary.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Will the hon. Member resume his seat ? I am myself going to ask that question. I presume that he has obtained the consent of all the Members concerned.

SHRI RANDHIR SINGH : The names are included with the consent of the different party leaders and of the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI SONAVANE : Individual consent is necessary.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all right. I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters by Shri Anand Narayan Mulla, be referred to a Select Committee consisting of 22 members, namely, Shri N. C. Chatterjee, Shri Krishna Kumar Chatterjee, Shri C. C. Desai, Shri Shivaji-rao S. Deshmukh, Shri Shri Chand Goyal, Shri K. Hanumanthaiya, Shri S. M. Joshi, Shri S. M. Krishna, Shri Krishnan Manoharan, Shri Vikram Chand Mahajan, Shri Bhola Nath Master, Shri P. Govinda Menon, Shri Bakar Ali Mirza, Shri H. N. Mukerjee, Shrimati Sharda Mukerjee, Shri Anand Narain Mulla, Shri K. Ananda Nambiar, Shri Mrityunjay Prasad, Shri K. Narayana Rao, Shri Sheo Narain, Shri Tenneti Viswanatham, and Chaudhuri Randhir Singh, with instructions to report by the first day of next session."

The motion was adopted.

18.07 $\frac{1}{2}$ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of articles 75, 164 etc.*)

श्री कामेश्वर सिंह (लगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में संविधान की धारा 75, 164, 336 के संशोधनों के लिए प्रस्ताव पेश करता हूँ। मैं कुछ कहने के पहले इसमें से कुछ अंश को पढ़ूँगा। हमारे बिल के मुताबिक़ :

"In articles 75 of the Constitution, in clause (1), for the words "The Prime Minister shall be appointed" the words "The Prime Minister, who shall be an elected member of the House of the people, shall be appointed" shall be substituted."

दूसरा है इसमें धारा 164 में संशोधन :

"In article 164 of the Constitution in clause (1), for the words "The Chief Minister shall be appointed" the words "The Chief Minister, who shall be an elected member of the Legislative Assembly, shall be appointed" shall be substituted."

18.08 $\frac{1}{2}$ hrs.

[**SHRI THIRUMALA RAO** in the Chair]

श्रीरामेन साहब ! मैंने संशोधन पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है देश में जो स्थिति जा रही है उस को देखते हुए। मैं वह भी पढ़ कर सुनाता हूँ :

"In article 326 of the constitution, for the word "twenty-one", the word "eighteen" shall be substituted."

चैयरमेन साहब ! अपने बिल के स्टेटमेंट आप आवजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में मैंने इसको साफ़ कर दिया है। वह भी मैं पढ़ कर सुना देता हूँ :

"It is highly undemocratic that persons not directly elected by the suffrage of the people should head the

popular Governments in the country. Therefore the Prime minister and Chief Ministers should always be elected Members of the lower Houses."

दूसरा अंग है :

"Discontentment prevails among youth in the country that they are not entitled to vote in the elections to the House of the people and to the Legislative Assemblies of State before 21 years of age. Reduction in the age of adult suffrage from 21 years to 18 years will inculcate the spirit of discipline and responsibility among them."

मैं इस संशोधन में पहले धारा 75 और 164 को लेता हूँ। मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टीकिल 164 और 175 की ओर खींचना चाहता हूँ। धारा 75 है केन्द्र के लिए और 164 है राज्यों के लिए। जहां तक हम लोगों का सवाल है, अभी तक जो भी हमारे प्रधान मंत्री हुए हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रधान मंत्री तो नहीं हुए हैं परन्तु इन्दिरा जी भी जो इस सदन में प्रधान मन्त्री बनी पहली बार, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, परन्तु एक कटु सत्य है, उसे कहना ही पड़ता है। उनको भी अपर हाउस की यानी राज्य सभा की शरण लेनी पड़ी। आज बहुत जरूरत है कि हम देश के अन्दर स्वास्थ्यकर परिपाठी चलायें, लेकिन हमारे ये जितने कांग्रेसी मित्र बैठे हुए हैं, इनकी कभी भी ऐसी नीति नहीं रही है कि ये या इनकी सरकार स्वयं ऐसे विधेयक लाए जिस से स्वास्थ्यकर और हितकारी परिपाठी इस देश में चल सके।

सभापति महोदय, हमारा देश संसार में सब से बड़ा डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। दुनिया भर की निगाह हिन्दुस्तान पर जमी रहती है कि वहां पर जनतन्त्र में क्या होता है। जब यहां पर इलैक्शन्ज होते हैं, दुनिया हमारी और देखती है कि यहां पर किस तरह से इलैक्शन्ज होते हैं। बाहर से लोग

हमारे इलैक्शन्ज को देखने आते हैं। लेकिन इलैक्शन्ज के बाद क्या होता है—जो सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसको मुख्यमन्त्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। ऐसा राज्यों में ही नहीं केन्द्र में भी हो चुका है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। ऐसी स्थिति में भेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार इस विधेयक को क्यों नहीं मान लेती। जहां तक डिफेक्शन कमेटी का सवाल है, उस कमेटी ने भी यही सिफारिश की है कि मुख्य मन्त्री विधान सभा का सदस्य और प्रधान मन्त्री लोक सभा का सदस्य होना चाहिए। ...

श्री हुकमचन्द्र कछबाय (उज्जैन) : सभी मन्त्री चुन कर आने चाहिए।

श्री कालेश्वर सिंह : इस कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य थे, इसलिए सभी पार्टियों की रजाबन्दी के बाद भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बाद अभी जिस नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ है, उस में भी एक ऐसे व्यक्ति को मन्त्री बनाया गया है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उनकी पार्टी के संसद सदस्य जब यहां बैठकर डिफेक्शन कमेटी में तथ करते हैं कि हर मंत्री को सदस्य होना चाहिए, लेकिन जब दो-तीन महीने के बाद इलैक्शन हुआ तो वे भूल गए। इसलिए आवश्यक है कि इस किसी की चीजों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए और अविलम्ब होना चाहिये।

जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, जिस समय हमारी कांस्टीचूएन्ट असेम्बली के सदस्य संविधान को बना रहे थे, तो हर बात के लिए वे लोग ब्रिटेन के संविधान की ओर देखते थे। यहां तक कि इस समय भी संविधान की बहुत सी बातों के लिए रोजर्मर्झ जो उदाहरण हम देते हैं, न केवल इस ओर के सदस्य, बल्कि कांग्रेसी सदस्य भी,

[श्री कामेश्वर सिंह]

मेज-पालियामेन्टी प्रेक्टिस को कोट करते हैं। आखिर वह क्या है? हर दिन ब्रिटेन का उदाहरण देते हैं, हाउस आफ कामन्ज़ का उदाहरण देते हैं, लेकिन उसमें भी जो अच्छी बातें हैं उसके लिए आप कभी भी किसी से सहमत नहीं होते हैं—हाउस आफ कामन्ज़ तो बहुत दूर की बात है।

1902 में लार्ड सैलिसबरी के त्याग-पत्र के बाद दूसरा कोई भी व्यक्ति जो कि हाउस आफ लार्ड का सदस्य रहा हो, इंगलैंड का प्रधान मन्त्री नहीं हुआ। 1923 में जब इस बात की जरूरत पड़ी तो यह कानून ही बन गया। जब सर अलेक डगलस ह्यूम प्रधान मंत्री बने तो वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसी समय मैकमिलन साहब ने कहा था :

Humes does not belong to any House.
'Humes' is homeless.

हाउस आफ कामन्स की ऐसी परिपाटी थी और जबकि हम हर दिन हर बात में वहाँ के उदाहरण इस सदन में देते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उस परिपाटी को यहाँ पर मानने में क्या आपत्ति है। हाउस आफ कामन्स के सदस्यों ने उस समय के बाद बहुत आगे तक जो परिपाटी चलाई उसका अनुकरण कैनेडियन पालेमेन्ट में भी हुआ। डिकेविंस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें भी है कि हर मन्त्री को सदस्य होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही बात है। वहाँ पर जितने मंत्री किसी डिपार्टमेन्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं सभी को हाउस आफ कामन्स का सदस्य होना है। जो मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो होते हैं वह अपर हाउस के भी सदस्य हो सकते हैं। कैनेडा के अलावा न्यूजीलैंड में और भी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर एक ही सदन है। हमारे कुछ साथी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड तो बहुत छोटा मुल्क है लेकिन इसमें छोटे या बड़े मुल्क का सवाल नहीं है। सवाल यह है निकालना बड़ा आसान रहता है, मैं भी दूसरों

की सौ गलियाँ कि जो अच्छी परिपाटी हो, जो भी बातें हमारे देश के लिए अच्छी हों, कोई छोटा देश भी यदि उन बातों को कर रहा हो तो भी उन बातों का अनुसरण करने में हमें कोई किफायत नहीं होनी चाहिए। बराबर हमारे देश में डिग्नेटरीज आते हैं लेकिन हमारे मंत्रियों के दिमाग में कभी यह बात नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं। मैं जर्मनी का उदाहरण आपके सामने दे सकता हूँ। वहाँ भी जो चांसलर होता है वह बुड्सटाट का मेम्बर होता है। ऐसे बहुत से देश हैं, जहाँ भी जनतंत्र है वहाँ पर लोगों ने सोचा है और तभी वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आयरलैंड में भी यही परिपाटी है। निचले सदन के सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर और इविवेलेट पोस्ट्स पर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जबसे हमारा संविधान बना, 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ लेकिन अभी तक लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे साथियों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा हिसाब-किताब बनाकर रखा जाये कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य न भी हो फिर भी उसको प्रधान मन्त्री बनने का मौका मिल सके। खैर मंत्री बनना तो छोड़ए, अभी तक इस बारे में कोई भी संविधान का संशोधन नहीं आया है और मुझे पता नहीं कि अब इस विधेयक को पेश करने के बाद भी जबकि इस पर बहस जारी है, सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि ये लोग प्रगतिशील विधेयक नहीं लायेंगे इस सदन में तो देश में हाहाकार मच जायेगा जोकि अब मचना शुरू भी हो गया है और फिर स्थिति इनके हाथ से बाहर चली जायेगी। यह तो केन्द्र के बारे में बात हुई बाद में इस सम्बन्ध में और भी कहूँगा।

जहाँ तक राज्यों का सवाल है, वहाँ हालत और भी खराब है। वहाँ पर तो मनमाना काम होता है। दूसरों की गलियाँ निकालना बड़ा आसान रहता है, मैं भी दूसरों की सौ गलियाँ

बता सकता हूँ। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि मद्रास में श्री राज गोपालाचारी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब कि उनको राज्यपाल ने विधान परिषद् में मनोनीत किया, आज वह स्वतंत्र पार्टी के बड़े नेता हैं, और माननीय श्री प्रकाशजी ने उनको शपथ दिलायी। क्या यह अच्छा काम किया? मैं समझता हूँ कि श्री प्रकाशजी में यदि हिम्मत होती और भारतीय संविधान में आस्था होती तो वह कभी भी राजा जी को शपथ दिलाना मन्त्रुर नहीं करते। परन्तु मुझे आज तक कोई भी ऐसा राज्यपाल देखने में नहीं आया है जिसने हिम्मत के साथ यह कहा हो कि मैं ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री के लिए शपथ ग्रहण नहीं करवाऊंगा जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। आखिर परिपाठी तो चलायी कांग्रेस ने मद्रास से। बम्बई में भी कुछ ऐसी घटनायें हुईं और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये घटनायें जब एक बार शुरू हो जाती हैं तो उनका रिएक्शन कभी रुकता नहीं है।

श्री जार्ज फर्नेंडीज़ (बम्बई दक्षिण) : मोरारजी देसाई बुलसर में चुनाव हारे और तत्काल उनको मंत्रि मंडल में ले लिया गया।

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Mangalore) : I have to make a request. I have a motion for reference to the Select Committee. Before you pass on to the next item, I want just to speak for a minute.

MR. CHAIRMAN : It would not be completed to-day. You can speak next time.

श्री कामेश्वर सिंह : मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन चूँकि मोरारजी भाई का नाम माननीय जार्ज फर्नेंडीज़ ने ले लिया तो मुझे कहना जरूरी हो गया कि एक बार बम्बई के मुख्य मंत्री बनकर संविधान का अपमान किया और जिसके लिए अभी तक

उन्होंने माफी नहीं मांगी है। आप कहेंगे कि संविधान का अपमान उन्होंने किस तरह से किया? संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में यह साफ़ है कि :

“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.”

अब आप ही बताइये कि जब साफ़ लिखा हुआ है कि काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स ब्लेकिटबली रेस्पासिबिल होंगे स्टेट की लेजी-स्लेटिव असेम्बली को तब ऐसा व्यक्ति मुख्य मंत्री बने जो कि जिम्मेवार हो लोग्र हाउस के प्रति और वह किसी सदन का सदस्य भी न हो, तब बताइए कि क्या यह संविधान का अपमान नहीं है?

MR. CHAIRMAN : Does the Constitution provide for that?

SHRI KAMESHWAR SINGH : Yes, Sir.

आईन है क्या आपके लिये। मोरारजी भाई ने अभी तक माफी नहीं मांगी।

दूसरा डर मुझे यह है कि एक बार बम्बई के मुख्य मंत्री रह जुके हैं और अभी तक माफी नहीं मांगी और 1972 में जब लोक सभा का चुनाव हारेंगे तो उनकी इसी तरह से बैंक डोर से, चोर दरवाजे से प्रधान मंत्री बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि संविधान में संशोधन बहुत ही आवश्यक है।

जब बड़े नेता यह काम कर बैठते हैं तो फिर जो छोटे लोग, आम लोग हैं वह ऐसा करने में क्यों भिन्न करेंगे?

मैं अब बिहार के ऊपर आता हूँ। 1967 में चुनावों के बाद जब वहाँ संविद की सरकार बनी, हम लोगों की सरकार बनी तो उसके बाद कांग्रेसियों के दिल में डर पैदा हुआ। जब हम लोगों ने कहना शुरू किया कि यह घूसखोरी है, इन्होंने सरकार का पैसा

[श्री कामेश्वर सिंह]

खाया है, जनता का पैसा खाया है और जब जांच कमीशन की बात होने लगी तो पैसा देकर सरकार को गिराया गया जिसका कि अभी तक चैक मौजूद है। उसके बाद मुख्य मंत्री कौन बना? श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल, सदस्य लोक सभा। आखिर यह मुख्य मंत्री कैसे बने? उनके मुख्य मंत्री बनने का सबसे बड़ा आधार हमारे श्री प्रकाश जैसे दूसरे राज्यपाल का था। कम-से-कम श्री कानूनगों को सोचना चाहिए था कि श्री श्री प्रकाश ने जो एक गलती की हस्तों वह गलती नहीं करनी चाहिए। कम-से-कम श्री कानूनगों को कहना चाहिए था कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ परन्तु गृह-मंत्री श्री चव्हाण के दबाव के कारण उन्होंने विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल को शपथ ग्रहण करवायी। शपथ ग्रहण करवाने के बाद आखिर उनका नाम कैसे आया? उन्होंने मनोनीत किया। उनका आखिर नाम कैसे आया? कारण कोई मुख्य मंत्री ऐसा होना चाहिए जो विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की मुट्ठी का आदमी हो, उनके कब्जे का आदमी हो। उसके लिए 72 घंटे के लिए एक मुख्य मंत्री को शपथ ग्रहण करवायी गयी। उस 72 घंटे में उस मुख्य मंत्री ने क्या-क्या काम किया? आज तक जो भी मुख्य मंत्री होते रहे हैं सब कोई जनहित के लिए होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं परन्तु जनतंत्र के इतिहास में विहार में एक इस तरह से मुख्य मंत्री बनाया गया जोकि सर्वथा अवांछनीय था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं होगा। जैसा मैंने कहा वहां ऐसा मुख्य मंत्री हुआ और सिर्फ इसलिए कि वह विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नाम की राज्यपाल के पास सिफारिश करे और बाद में राज्यपाल उसे कबूल करे। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की चर्चा इस सदन्

में काफी हो चुकी है और हमारे साथी श्री नाथपाई ने भी इस सदन में वह बहस उठाई थी और मैंने सोचा कि शायद लोगों का दिमाग काफी साफ हो गया होगा परन्तु मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि वैसा नहीं हो पाया है। पिछली फरवरी में जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसके अनुसार बंगाल की क्या स्थिति है? श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, को मंत्री बनाया गया। मैं किसी पार्टी का नाम यहां नहीं लेना चाहता हूँ कि वह किस पार्टी की है लेकिन हमारे साथी लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यह अन्याय है, यह देश के संविधान के साथ और जनता के साथ अन्याय है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो उस पार्टी के सदस्य डिफेंशंस कमेटी में थे वह उन लोगों ने अपने राज्यपाल को इस बात का रुखाल नहीं दिलवाया? हकीकत यह है कि जहां अपने फायदा का सवाल उठाता है तो वहां सब कोई भूल जाते हैं। चाहे किसी पार्लियामेंटरी कमेटी में कोई स्टेंड रहा हो अगर कुछ फायदा होता है उलटा काम करने से या संविधान को जला देने से तो हम लोग जलाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं और वह इसलिए है कि पहले हम लोग किसी पार्टी के व्यक्ति हैं और तब उसके बाद हम हिन्दुस्तानी हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे कम्युनिस्ट भाई यहां पर बड़ी-बड़ी बात कहते हैं, बड़ी-बड़ी दलीलें देते हैं परन्तु उनको यह कबूल नहीं है कि वह राष्ट्रहित में कोई भी काम कर सकें। अगर उनमें थोड़ी सी भी राष्ट्रीय भावना होती तो वे जनहित और संविधान के लिए थोड़ी भी कद्र कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हृदय में तो वह आज ही पश्चिम बंगाल के अपने पार्टी के नेताओं को यह आदेश दें कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अविलम्ब इस्तीफा दे।

MR. CHAIRMAN : The Hon. Member will continue his speech on the next non-official day for Bills.